ALMA TIMES 7
face of the month
राष्ट्रीय गतिविधियाँ
www.aiita.org
ALL INDIA IT ASSOCIATION
अखिल भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संगठन
5 जनवरी 2015

वरूण कपूर
Inspector General of Police
(PRTS)

साइबर पॉलिसिंग के माध्यम से साइबर क्राइम्स पर नियंत्रण

विज्ञान और तकनीकी विषयों का महत्व और उपलब्धियों का इतिहास सदियों से मानव मस्तिष्क को आंदोलित करता रहा है, मगर तीन दशकों से जुड़ी सूचना क्रांति, इंटरनेट, कम्प्यूटर तकनीकी और डिजीटल डिवाइसेस ने आशातीत परिवर्तन कर आम आदमी और सामाजिक सोच को प्रभावित किया है। इंटरनेट और उनसे जुड़ी सोशल मीडिया के बढ़ते दायरे ने परम्परागत अपराधों से आगे निकल नये अपराध श्रेणियों को दर्ज किया है। आश्चर्य इस बात का है कि पश्चिमी देशों के साथ-साथ हमारे देश में साइबर क्राइम का ग्राफ बड़ी तेजी से बढ़ा है जिसमें फिसिंग, मार्फिंग, डाटा थेफ्ट, डिजिटल फोजरी, ब्लैकमेलिंग, पोर्नोग्राफिक प्रमोशन जैसी प्रमुखता से शामिल हो रहे हैं। इन अपराधों के नियत्रंण के लिए साइबर पोलिसिंग को मजबूत बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर पर शासन ने प्रत्येक मुख्यालय पर एक साइबर सेल की व्यवस्था की है जिसमें साइबर क्राइम की तकनीकी से जुड़े एक्सपर्ट पुलिस अधिकार का मार्गदर्शन होता है। उक्त विचार मध्य प्रदेश आईजी वं डायरेक्टर पी.आर.टी. एस. श्री वरूण कपूर ने व्यक्त किए।

श्री कपूर का मानना है कि साइबर पोलिसिंग के साथ-साथ साइबर एक्ट 2000 की जानकारी होना संबंधित पुलिस अधिकारी के लिए अनिवार्य होता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़े अपराधों में कोई भी भौगोलिक सीमा का नियंत्रण नहीं करता है। अपराध और अपराधी की वस्तु स्थिति को चिन्हित कर न्यायालय तक ले जाने का दायित्व साइबर पोलिसिंग का कार्य होता है। हमारे देश में साइबर क्राइम के नियंत्रण हेतु साइबर एक्ट 2000 बनाया गया है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन जन-जागरूक अभियानों के माध्यम से आम व्यक्ति को सचेत करता है ताकि वे अपनी शिकायत दर्ज कराकर अपराध और अपराधी को नियंत्रित करने की कार्यवाही में सहयोग प्रदान करे। हमारे देश में युवा आई.टी. इंजीनियर्स एवं साफ्टवेयर एक्सपर्ट के साथ-साथ एथिकल हेकर्स भी साइबर पोलिसिंग को सहयोग करते हैं। साइबर सिक्योरिटी तथा इम्यूनिटी के बावजूद हमारे वेबसाइट्स हैक कर ली जाती है। साइबर पोलिसिंग को मजबूत बनाने के लिए हमें एक्सपर्ट्स एथिकल हैकर्स के साथ-साथ योरोपोल जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करना होगा। उनका मानना है कि युवाओं को जागरूक करना और समाज को साइबर क्राइम की गतिविधियों से आगाह करना भी साइबर पोलिसिंग का प्रमुख कार्य है।